न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 20/2018

| वादी | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| वंशीलाल पुत्र श्री अमराराम<br>जाति बावरी निवासी खारिया<br>मीठापुर तहसील बिलाड़ा<br>जिला जोधपुर | | 1. प्रकाशराम पुत्र अमराराम<br>2. सम्पतराम पुत्र अमराराम<br>3. हापुराम पुत्र श्री जसाराम<br>जातियान बावरी निवासीगण<br>खारिया मीठापुर तहसील<br>बिलाड़ा, जिला जोधपुर<br>4. जगदीश पुत्र श्री अमराराम<br>जाति सरगरा निवासी गीरपूर,<br>तहसील व जिला सिरोही राज.<br>5. तलकाराम पुत्र श्री रूपाजी<br>जाति मेघवाल निवासी गीरपुर<br>तहसील व जिला जोधपुर<br>सिरोही राज.<br>6. राजस्थान सरकार जरिये<br>तहसीलदार बिलाड़ा<br>7. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक<br>खारिया मीठापुर<br>8. शाखा प्रबन्धक विजया बैंक<br>बिलाड़ा |

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :– वादी की ओर से श्री अशोक कुमार पटेल एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1 से 5, 7, से 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
प्रतिवादी संख्या 6 सरकारी पैरोकार

निर्णय दिनांक :– 29/7/2019

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा की सरहद में वादी एवं प्रतिवादीगण की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1437 रकबा 36 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1439 रकबा 27 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 1440 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 1441 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 1442 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 1442/2151 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा सयुक्त अविभाजित भूमि आयी हुयी है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/6 वॉ हिस्सा था जिसमें से वादी ने अपने 1/6 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 4 जगदीश को 40/123.166 वॉ हिस्सा बैचान कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 5 तलकाराम को 40/123.66 वॉ हिस्सा बैचान कर दिया अब उक्त खसरो की भूमि में वादी का 43/123.66 हिस्सा शेष रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 40/738 वॉ हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 40/738 वॉ हिस्सा है। इस प्रकार उक्त भूमि पक्षकारों की सयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। पूर्व में उपरोक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 3 हापूराम व वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता अमराराम के सयुक्त खातेदारी में दर्ज थी

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Scanned by CamScanner

जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता का 1/2 हिस्सा था, एवं प्रतिवादी संख्या 3 हापूराम का 1/2 हिस्सा है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के पिता का देहान्त होन जाने के बाद उक्त खसरों की भूमि में अमराराम के स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की बहन संतोष के नाम से राजस्व रेकर्ड में म्यूटेशन भरा गया था संतोष ने वादग्रस्त भूम में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने भाई वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में त्याग कर दिया था। उक्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का कब्जा व काश्त निर्बाध रूप से चला आ रहा है। पारिवारिक बात को लेकर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 वादी से नाराज रहते है एवं वादी को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर उतारू है। इस कारण वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल करने से रोकने के लिये स्थायी निषेधाज्ञा के लिये दावा पेश करना पड़ रहा है। वादग्रस्त भूमि सयुक्त खातेदारी की होने से वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को उनके हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग करने का निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने बंटवाड़ा करने से इन्कार कर दिया इस कारण वादी को अपने खातेदारी अधिकारों के लिए बंटवाड़ा कराने के लिये दावा पेश करना पड़ रहा है।

अन्त में निवेदन किया कि ग्राम खारिया मीठापुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1437, 1439, 1440, 1441, 1442, 1442/2151 में वादी के 43/123.66 वे हिस्से की भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर वादी की खातेदारी में अलग से दर्ज किया जावे तथा राजस्व रेकर्ड में अलग से तरमीम की जाने हेतु एवं खातेदारी अगल दर्ज करने हेतु प्रतिवादी संख्या 6 को आदेशित किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री जारी की जावे। तदनुसार डिक्री की पालना प्रतिवादी संख 6 से करवायी जाकर राजस्व रेकर्ड में वादग्रस्त भूमि में वादी का 43/123.66 वे हिस्से की अलग खातेदारी दर्ज करवाई जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को वादी की खातेदारी में दर्ज भूमि में दखल करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी का दावा दिनांक 07.03.2019 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 1437 रकबा 36 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1439 रकबा 27 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 1440 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 1441 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 1442 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 1442/2151 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर वादी के 43/123.66 वॉ हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया गया था। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाड़ा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसके अनुसार ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 1437 रकबा 36 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1439 रकबा 27 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 1440 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 1441 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 1442 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 1442/2151 रकबा

(मनीष कुमार)
सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

13 बीघा 04 बिस्वा का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर वादी के 43/123.66 वॉ हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा प्रस्तावित करने हेतु का प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया जिसके तहत खसरा नम्बर 1437/1 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1439 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा 10 बिस्वांशी, खसरा नम्बर 1440 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 1442 रकबा 18 बिस्वा 10 बिस्वांशी, खसरा नम्बर 1442/2151 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा कुल खसरा 5 कुल रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा वादी बंशीलाल पुत्र अमराराम के, खसरा नम्बर 1439/1 रकबा 22 बीघा 8 बिस्वा 10 बिस्वांशी, खसरा नम्बर 1440/1 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 1442/1 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वांशी, खसरा नम्बर 1442/2151 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा कुल खसरा 4 कुल रकबा 42 बीघा 19 बिस्वा प्रतिवादी हापूराम पुत्र जसाराम 3/5 प्रकाशराम, सम्पतराम पि. अमराराम 2/5 हिस्सा, खसरा नम्बर 1441 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 1439/2 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 1442/2151 रकबा 08 बिस्वा कुल खसरा 3 कुल रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा प्रतिवादी हापूराम पुत्र जसाराम 1/2, प्रकाशराम, बंशीलाल, सम्पतराम पि. अमराराम 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 1437 रकबा 34 बीघा 16 बिस्वा हापूराम पुत्र जसाराम 739/1392, प्रकाशराम, सम्पतराम पि. अमराराम 493/1392, जगदीश पुत्र अमराराम 80/1392, तलकाराम पुत्र रूपाजी 80/1392 हिस्सा बंट में रखी गयी । बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति दर्ज नही करवायी है। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्षा को अन्तिम डिक्री का भाग समझा जावे तथा बंटवाडा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड व नक्शा ट्रेस में अलग अलग इन्द्राज करने का आदेश दिया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी की खातेदारी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलेक्टर न्यायालय एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

29.7.2019

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाडा

निर्णय आज दिनांक 29.7.2019 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

29.7.2019

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाडा

सहायक कलेक्टर न्यायालय एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,

व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

**वादी**

बंशीलाल पुत्र श्री अमराराम
जाति बावरी निवासी खारिया
मीठापुर तहसील बिलाड़ा
जिला जोधपुर

**बनाम**

**प्रतिवादीगण**

1. प्रकाशराम पुत्र अमराराम
2. सम्पतराम पुत्र अमराराम
3. हापुराम पुत्र श्री जसाराम
   जातियान बावरी निवासीगण
   खारिया मीठापुर तहसील
   बिलाड़ा, जिला जोधपुर
4. जगदीश पुत्र श्री अमराराम
   जाति सरगरा निवासी
   मीरपूर, तहसील व जिला
   सिरोही राज.
5. तलकाराम पुत्र श्री रूपाजी
   जाति मेघवाल निवासी
   मीरपुर तहसील व जिला
   जोधपुर सिरोही राज.
6. राजस्थान सरकार जरिये
   तहसीलदार बिलाड़ा
7. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक
   खारिया मीठापुर
8. शाखा प्रबन्धक विजया बैक
   बिलाडा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

**दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955**

राजस्व वाद संख्या :–20 / 2018

**निर्णय** दिनांक :– 29.7.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री अशोक कुमार पटेल अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 5, 7 से 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 6 सरकारी पैरोकार मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 1437 रकबा 36 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1439 रकबा 27 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 1440 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 1441 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 1442 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 1442 / 2151 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर वादी के 43 / 123.66 वॉ हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा प्रस्तावित करने हेतु का प्रस्तावित बंटवाड़ा प्ररताव निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया जिसके तहत खसरा नम्बर 1437 / 1 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1439 रकबा 4

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

बीघा 9 बिस्वा 10 बिस्वांशी, खसरा नम्बर 1440 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 1442 रकबा 18 बिस्वा 10 बिस्वांशी, खसरा नम्बर 1442/2151 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा कुल खसरा 5 कुल रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा वादी वंशीलाल पुत्र अमराराम के, खसरा नम्बर 1439/1 रकबा 22 बीघा 8 बिस्वा 10 बिस्वांशी, खसरा नम्बर 1440/1 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 1442/1 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वांशी, खसरा नम्बर 1442/2151 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा कुल खसरा 4 कुल रकबा 42 बीघा 19 बिस्वा प्रतिवादी हापूराम पुत्र जराराम 3/5 प्रकाशराम, सम्पतराम पि. अमराराम 2/5 हिस्सा, खसरा नम्बर 1441 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 1439/2 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 1442/2151 रकबा 08 बिस्वा कुल खसरा 3 कुल रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा प्रतिवादी हापूराम पुत्र जराराम 1/2, प्रकाशराम, वंशीलाल, सम्पतराम पि. अमराराम 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 1437 रकबा 34 बीघा 16 बिस्वा हापूराम पुत्र जसाराम 739/1392, प्रकाशराम, सम्पतराम पि. अमराराम 493/1392, जगदीश पुत्र अमराराम 80/1392, तलकाराम पुत्र रूपाजी 80/1392 हिस्सा बंट में रखी गयी । बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति दर्ज नही करवायी है। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्षा को अन्तिम डिक्री का भाग समझा जावे तथा बंटवाडा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड व नक्शा ट्रेस में अलग अलग इन्द्राज करने का आदेश दिया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द किया जाता है कि वो वादी की खातेदारी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे।

29.7.2019
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
डिलाड़ा

तीज — गुबलिग — बाबत् —

खर्चा इस मुकदमे के मय व शरह —सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयावी तक —की अदा करें।बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29-7-2019 को जारी की गई।

| गुदायराह | रूपया | पैसे | गुदायराह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | वजह सबूत महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बाबत् इजराज हुक्मनामा | | | बाबत् हुराय हुक्मनामा | | |
| मुतफरिक | | | मुतफरिक | | |
| | | | दर० तलवाना | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोट :—इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

29.7.2019
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
डिलाड़ा

Scanned by CamScanner